

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र / 690 / 2020

तारीख रजु 18.03.2020

उनवान

राजस्थान देहली एजुकेशन सोसायटी कृष्णा कॉलोनी हिण्डौन सिटी जरिये सचिव महेश सिंह बैनीवाल पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी लक्ष्मण कॉलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली

---सायल

बनाम

अभिषेक पुत्र सेवकराम वगै० जाति खाती निवासी खेडा तह० हिण्डौन जिला कसैली

-----गैरसायलान 13

उपस्थिति:-

सायल की ओर से :- श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट
गैरसायलान की ओर से :- कोई नहीं


निर्णय

दिनांक 18.08.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 959, 958, 956, 958 / 1319, 962 / 1288, 963 / 1289, 960, प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान सायल वकील द्वारा निवेदन किया कि सायल प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रार्थना पत्र विद्वा करना चाहा है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 690 / 2020 राजस्थान देहली एजुकेशन सोसायटी बनाम अभिषेक आदि विद्वा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हौ।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

